

प्रेषक,

राधे कृष्ण,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2018

विषय: सैप वर्ष 2016-17 के लिए अमृत (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत अयोध्या पेयजल गृह संयोजन कार्य से सम्बन्धित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-208/2018/1714/नौ-5-18-104बजट/2018, दिनांक 22.05.2018, जिसके द्वारा सैप वर्ष 2016-17 के लिए अमृत (AMRUT) के अन्तर्गत अयोध्या पेयजल गृह संयोजन कार्य से सम्बन्धित परियोजना की निर्धारित लागत ₹0 151.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रुपये 22.18 लाख (केन्द्रांश+राज्यांश+ सेन्टेज) की धनराशि अवमुक्त की गयी है, को निम्न सीमा तक संशोधित किया जाता है-

(धनराशि लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	मूल्यांकित लागत में सेन्टेज की धनराशि	कार्य लागत (2-3)	लागत में सम्मिलित केन्द्रांश (कार्य लागत का 50 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित राज्यांश (कार्य लागत का 30 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित निकाय अंश (कार्य लागत का 20 प्रतिशत)	प्रथम किस्त के रूप में अयमुक्त हेतु प्रस्तावित केन्द्रांश	प्रथम किस्त के रूप में अयमुक्त हेतु प्रस्तावित राज्यांश	प्रथम किस्त के रूप में अयमुक्त हेतु प्रस्तावित सेन्टेज	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अयोध्या गृह पेयजल संयोजन कार्य	151.31	16.66	134.65	67.33	40.40	26.93	13.47	8.08	3.33	24.88

(रूपए चौबीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र)

2- शासनादेश दिनांक 22.05.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

( राधे कृष्ण )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-208/2018/1714(1)/नौ-5-2018 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 6- मण्डलायुक्त, फैजाबाद/जिलाधिकारी, फैजाबाद।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या-फैजाबाद।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 11- मुख्य अभियन्ता (नागर), 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-निर्भरण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( राधे कृष्ण )  
संयुक्त सचिव